न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 06/2020
GCMS NO. : 2020/00014

–: वादीः–

1. दामोदर प्रसाद पुत्र नेमीचंद जाति– माहेश्वरी निवासी– लाम्बिया तहसील–जैतारण जिला–पाली हाल इचलकरंजी तहसील हातकणंगले जिला कौलापूर महाराष्ट्र।

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–

1. चंदनमल पुत्र गणेशमल के का.मु.
   1/1. ओमप्रकाश पुत्र चंदनमल
   1/2. लक्ष्मीनारायण पुत्र चंदनमल
   1/3. कैलाशचंद पुत्र चंदनमल
   1/4. गीता पुत्री चंदनमल
   1/5. सीता पुत्री चंदनमल
   1/6. शांति पुत्री चंदनमल
2. हिम्मतमल पुत्र गणेशमल के का.मु.
   2/1. कुंज बिहारी पुत्र हिम्मतमल
   2/2. पुष्पा पुत्री हिम्मतमल
   2/3. संतोष पुत्री हिम्मतमल
   2/4. सपना पुत्री हिम्मतमल
3. नेमीचंद पुत्र गणेशमल
   सभी जाति– महेश्वरी (जैन)
   निवासीगण– लाम्बिया
   तहसील–जैतारण।
4. तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार तहसील कार्यालय जैतारण जिला–पाली।
5. पटवारी, पटवार हल्का लाम्बिया तहसील जैतारण जिला पाली।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः.06/02/2020

उपस्थितः– 1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता वादी।
2. श्री अमित त्रिपाठी, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनांकः– 31/08/2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:31:54 IST
Reason: SelfAttested

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं [illegible]ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 [illegible] प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा लाम्बिया पटवार हल्का लाम्बिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0 कालू तहसील जैतारण [illegible] राज की सीमा मे स्थित कृषि भूमि खाता संख्या नया 344 व खाता संख्या पुराना 306 खसरा नम्बर 1430 रकबा 20 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल स्थित है। उक्त कृषि भूमि वक्त सैटलमेन्ट से लेकर संवत् 2045 से 2048 की जमाबन्दी तक गुलाबचंद पुत्र गणेशमल कौम महाजन के नाम थी और गुलाबचंद

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

जी के देहान्त होने पर वादी दामोदरप्रसाद के नाम म्युटेशन संख्या 1513 के जरिये सहवन से राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज कर दिया गया जबकि उक्त कृषि भूमि के तत्कालीन खातेदार गुलाबचंद जी की एक मात्र उतराधिकारी एवं वारिस उनकी बेवा कमलादेवी थी। माफिक हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत मृतक गुलाबचंद जी की खातेदार भूमि मे उनकी एक मात्र उतराधिकारी वारिस बेवा कमलादेवी के नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करना था जो राजस्व कर्मचारीयो द्वारा सहवन से एवं गलती से वादी के नाम वादी को गुलाबचंद जी का पुत्र बताकर जरिये फौतदगी म्युटेशन के राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज कर दिया गया जो आज तक राजस्व रेकर्ड मे यथावत् चलता आ रहा है जो कानून की निगाह मे एक रोंग एन्ट्री है। जिसे दुरूस्त करवाने हेतू यह घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का वादपत्र श्रीमान् के समक्ष पेश है। नकल जमाबन्दीया व म्युटेशन संख्या 1513 एवं मृत्यु प्रमाण पत्र गुलाबचंद जी का इस वादपत्र के साथ पेश है। सरहद मौजा लाम्बिया पटवार हल्का लाम्बिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0 कालू तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे स्थित कृषि भूमि खाता संख्या नया 345 खाता संख्या पुराना 307 खसरा नम्बर 270 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा, ख.नं. 363 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, ख. नं. 372 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, ख. नं. 373 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, ख. नं. 374 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, ख. नं. 379 रकबा 8 बिस्वा, ख. नं. 381 रकबा 1 बिस्वा, ख. नं. 382 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, ख. नं. 383 रकबा 1 बीघा, ख. नं. 384/1 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा कुल खसरा 10 कुल रकबा 34 बीघा 03 विस्वा आई हुई है। उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि मे प्रतिवादीगण संख्या 1 के कायम मुकाम 1/1 से 1/6 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 2 के कायम मुकाम 2/1 से 2/4 का 1/4 व प्रतिवादीगण संख्या तीन का 1/4 हिस्सा है एवं शेष 1/4 हिस्सा गुलाबचंद पुत्र गणेशमल जी का था और गुलाबचंद जी के देहान्त के पश्चात राजस्व कर्मचारीयो की गलती एवं सहवन से वादी को गुलाबचंद जी का पुत्र बताकर जरिये फौतेदगी म्युटेशन संख्या 1512 के इन्द्राज किया गया जबकि गुलाबचंद जी की एक मात्र उतराधिकारी एवं वारिस उनके बेवा कमलादेवी थी। नकल जमाबन्दीयां व म्युटेशन संख्या 1512 इस वादत्र के साथ पेश है। वादपत्र के पद संख्या एक व दो मे वर्णित कृषि भूमि के तत्कालीन खातेदार गुलाबचंद जी के देहान्त के पश्चात उनके हक हिस्से की कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार उनकी एक मात्र उतराधिकारी एवं विधिक वारिस कमलादेवी मे निहित हुए और कमलादेवी ही एक मात्र जी के हक हिस्से की उक्त कृषि भूमि की खातेदार काश्तकार माफिक [illegible] थी परन्तु राजस्व रेकर्ड मे वादी का नाम गुलाबचंद जी का पुत्र बताकर फौतेदगी म्युटेशन के जरिये इन्द्राज कर दिया गया । इसलिए उक्त दोनो फौतेदगी म्युटेशन संख्या संख्या क्रमशः 1513 व 1512 शुरू से ही अवैध शून्य होने से कमलादेवी के हक अधिकारो के खिलाफ निष्प्रभावी है और कानून की निगाह मे एक रोंग एन्टी होने से उक्त दोनो म्युटेशन खारिज किया जावे वादपत्र के पद संख्या एक व दो मे वर्णित कृषि भूमि की खातेदार एवं काबिज काश्तकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:31:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

कमलादेवी ने अपने जीवनकाल मे अपने हक हिस्से व अधिकार की खातेदारी उक्त कृषि भूमि को जरिये वसीयतनामा व इच्छापत्र दिनांक 22 फरवरी 2019 को दो गवाहो की साखे डलवाकर 100 रूपये के स्टाम्प पर तहरीर व तकमील कर नोटेरी अधिवक्ता से तस्दीक करवाकर वादी को हमेशा हमेशा के लिये वसीयत कर दी, वर्तमान मे कमलादेवी का देहान्त हो चुका है इसलिए गुलाबचंद व कमलादेवी के हक अधिकार एवं हिस्से की उक्त कृषि भूमि का एक मात्र उतराधिकारी वारिस जरिये लिखित वसीयत दिनांक 22 फरवरी 2019 के आधार से वादी ही है। वादी उक्त वसीयत के आधार से उक्त विवादित आराजी मे मौके पर काबिज होकर बतौर खातेदार के काश्त करता चला आ रहा है। नकल मृत्यु प्रमाणपत्र कमलादेवी का व वसीयतनामा दिनांक 22 फरवरी 2019 इस वादपत्र के साथ पेश है। गुलाबचंद व कमलादेवी के कोई जायन्दा संतान नही थी और गुलाबचंद जी के बाद उनके हक हिस्से व खातेदारी भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार के कमलादेवी काबिज हुई और कमलादेवी ने अपने हक अधिकार एवं हिस्से की उक्त कृषिभूमि को जरिये लिखित वसीयत व इच्छापत्र दिनांक 22 फरवरी 2019 के वादी के पक्ष मे निष्पादित कर दी। इसलिए वादी ही गुलाबचंद व कमलादेवी के हक हिस्से की उक्त कृषि भूमि का एक मात्र उतराधिकारी होने से खातेदार काश्तकार होने से राजस्व रेकर्ड मे अपना नाम बतौर खातेदार इन्द्राज करवाने का अधिकारी होने से यह घोषणा का खिलाफ प्रतिवादीगण सादर पेश है। दिनांक 28/11/2019 को वादी कमलादेवी के देहान्त के पश्चात कमलादेवी द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2019 को वादी के पक्ष मे निष्पादित वसीयत लेकर वादी प्रतिवादीगण संख्या चार व पांच के यहां जाकर गुलाबचंद व कमलादेवी के हक हिस्से की भूमि मे अपना नाम बतौर खातेदार काश्तकार इन्द्राज करने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण संख्या चार व पांच जरिये वसीयत के वादी का नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करने से इन्कार कर दिया एवं कहा कि राजस्व न्यायालय से आदेश लेकर आओ तब ही हम तुम्हारा नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करेगे तब वादी ने राजस्व रेकर्ड की सम्पूर्ण नकले प्राप्त की तो सर्व प्रथम बार वादी को यह जानकारी हुई कि गुलाबचंद जी के देहान्त के पश्चात कमलादेवी के नाम फौतेदगी म्युटेशन नही भरकर वादी को गुलाबचंद का पुत्र बताकर राजस्व रेकर्ड मे जरिये फौतदगी म्युटेशन कर वादी का नाम इन्द्राज कर दिया जो एक रोंग एन्टी है एवं खिलाफ कानून है इसलिए वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का वादपत्र श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। प्रतिवादीगण संख्या चार व पांच राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि होकर [illegible] अधिकारी एवं कर्मचारी है इसलिए बिना नोटिस दिये वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत् धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थनापत्र वादपत्र के साथ पेश है। बिनाय वाद दिनांक 28/11/2019 को वादी द्वारा अपने पक्ष मे निष्पादित की गयी वसीयत दिनांक 22/02/2019 को लेकर प्रतिवादीगण संख्या चार व पांच के यहां गया एवं जरिये वसीयत के अपना नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करने का निवेदन करने पर प्रतिवादीगण संख्या चार व पांच द्वारा स्पष्ट रूप से इन्कार

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:31:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

करने एवं न्यायालय से आदेश लाने का कहने पर राजस्व रेकर्ड की सम्पूर्ण नकले प्राप्त करने वादी को राजस्व रेकर्ड मे अपना नाम बतौर गुलाबचंद के पुत्र के रूप मे इन्द्राज होने की सर्व प्रथम जानकारी होने पर बमुकाम लाम्बिया तहसील जैतारण जिला पाली राज 0 मे पैदा हुआ जो श्रीमान् के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार मे होने से यह वादपत्र अन्दर मियाद श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। वकील प्रतिवादी 1 से 3 ने प्रा.पत्र पेश कर निवेदन किया कि माफिक वादपत्र वादीगण के अनुसार वाद डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। तहसीलदार जैतारण से रेकर्ड एवं मौका की स्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसे सा.मि. किया गया। वकील वादी ने वाद के समर्थन में साक्ष्य के शपथ पत्र P/W 01, P/W 02, दिनांक 07.04.2021 को पेश किया, दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये गये जो सा0मि0 है। प्रतिवादीगण की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई, जो सा.मि. है।

राजस्व वाद बाबत घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर बहस सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात एवं संगत विधिक प्रावधानों का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है।-

1. वादी द्वारा वाद-पत्र एवं अपने साक्ष्य शपथ-पत्र P/W 01 में यह कथन किया है कि नामांतरण संख्या 1512 एवं 1513 द्वारा वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में तत्कालीन खातेदार गुलाबचंद के देहांत होने पर वादी को मृतक गुलाबचंद का पुत्र बताकर जरीये फौतेदगी म्यूटेशन वादी का नाम वादग्रस्त आराजी के भू-अभिलेख में सहवन से दर्ज कर दिया गया। वादी ने यह कथन भी किया कि वादी को उक्त राजस्व रेकर्ड की स्थिति की जानकारी मृतक गुलाबचंद की पत्नी कमलादेवी द्वारा वादी के पक्ष में निष्पादित वसीयत (दिनांक 22/02/2019) का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज की कार्यवाही करने के दौरान दिनांक 22/11/2019 को हुई। जमाबन्दी सम्वत् 2065-2068 (प्रदर्श-3) में अंकित नोट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा खसरा नम्बर 224/37 रकबा 2-12 बीघा को पप्पूराम को बेचान की जिसका नामांतरण संख्या 2702 दिनांक 05/12/2011 है। जमाबंदी संवत् 2061-2064 (प्रदर्श-4) में सम्पूर्ण खाते (ख.नं. [illegible] एवं ख.नं. 224/37) के खातेदार स्वयं वादी ही था। अतः वादी द्वारा किया गया कथन कि वादी को वादग्रस्त आराजी के रेकर्ड की वर्तमान स्थिति की जानकारी दिनांक 28/11/2019 को हुई सर्वथा मिथ्या प्रतीत होता है।

2. वादी द्वारा ख़ाता संख्या 308 (जमाबंदी संवत् 2065-2068 प्रदर्श-3) में अंकित म्यूटेशन संख्या 2702 जिसमें बेचान का उल्लेख है एवं म्यूटेशन संख्या 2740 दिनांक 14/06/2012 में M.G.B. ग्रामीण बैंक शाखा लाम्बिया से रहन का उल्लेख है यदि वादग्रस्त आराजी में वादी के नाम की प्रविष्टिया गलत थी तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:31:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

वादी द्वारा बेचान क्यों किया गया? व रहन क्यों रखा गया? अतः उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है एवं वादी द्वारा संपूर्ण तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. वादग्रस्त आराजी की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 (प्रदर्श–1) एवं प्रदर्श–10 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वसीयतकर्ता श्रीमति कमलादेवी ने जिस दिनांक (22/02/2019) को वादी के पक्ष में कथित वसीयत की थी उस दिनांक को वादी खातेदार काश्तकार दर्ज था। वसीयतकर्ता श्रीमति कमलादेवी द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में कथित वसीयत की गई जिसमें कमलादेवी बतौर खातेदार दर्ज ही नहीं थी। जब वक्त वसीयत निष्पादन वसीयतकर्ता वादग्रस्त आराजी की खातेदार ही नहीं थी तो ऐसी कथित वसीयत विधिक दृष्टि से प्रभाव–शून्य दस्तावेज होता है।

4. वादी द्वारा ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किये है, जिससे की वादी द्वारा किये गये कथन साबित होते हो एवं वादी द्वारा वाद–पत्र में अंकित अपने पिता के अन्य वारिसानों के संबंध में भी कोई कथन नहीं किया है और यदि अन्य वारिसान है तो उन्हें पक्षकार संयोजित नहीं किया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादी द्वारा न्यायालय को गुमराह करने की नियत से न्यायालय के समक्ष सम्पूर्ण तथ्य प्रकट नहीं किये है एवं वादी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। अतः हम वादी का वाद भली भांति साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाना उचित समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वादी के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला पाली (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:31:54 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 31/08/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)